

स० स० 14/एम 11-01/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार,पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान
नई दिल्ली-29 राष्ट्रीय कैंसर संस्थान
झज्जर

पटना, दिनांक.....

विषय- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 25.02.2026 की बैठक में लिये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	साबित्री देवी पति- मनु प्रसाद ग्राम+पो०- डरैला थाना- गुठनी जिला- सिवान यूएचआईडी नं०- 108016234	कैंसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
			1,00,000	

नोट :- चेक "NCI PATIENT TREATMENT" के नाम से निर्गत है।

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,00,000 /- (एक लाख) रुपये का क्रास चेक सं० 002600.....
.....मूल रूप में संलग्न है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को

कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
7. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-


(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापक 678 (14)

पटना, दिनांक 10/3/2026

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / संबंधित मरीज /आई.टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

सं० स० 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

अधीक्षक,
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान,
अंसारीनगर, नई दिल्ली। 110029

पटना, दिनांक

विषय— “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 25.02.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	शिवम पिता—राकेश कुमार सिंह ग्राम+पो०— मंगवार थाना— बसनही जिला— सहरसा यूएचआईडी नं०— 107064745	aplastic Anemia	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
			1,00,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,00,000/- (एक लाख) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष”, खाता सं०— 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 002602..... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 10874588593, खाता धारक का नाम— AIIMS PATIENT TREATMENT ACCOUNT खाते का प्रकार— चालु, बैंक का नाम—एस० बी० आई०, शाखा का नाम—अंसारी नगर, नई दिल्ली (01536),RTGS/IFSC कोड सं०—SBIN 0001536 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त “बिहार लोक माग वसुली अधिनियम” के तहत वसूल कर लिया जायेगा।

4. यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाज

ह०/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 677(14)

पटना, दिनांक 10/3/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 002602 की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका-2 मे वर्णित खाता धारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों मे)/ आई. टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सभी सबधित मरीज को सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

सं० स० 14/ एम 11-1/2026

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ

बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक
**Medanta Hospital,
Sector-A, Pocket 1,
Shushant Golf City, Amar Shaheed Path,
Lucknow - 226030**

पटना, दिनांक..

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

"मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" के प्राधिकृत समिति की दिनांक 25.02.2026 की बैठक में नर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में।
1	2	3	4	5
1	सूरज तिवारी पिता- जनेश्वर तिवारी ग्राम+पो0- भदौला थाना- कुदरा जिला- कैमूर भभुआ	Lap Cholecystectomy	50,000	पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
2	विजय कुमार गोयल पिता- गौरीशंकर गोयल ग्राम- कालस्थान मसरफ बाजार पो0- लालबाग थाना- नगर जिला- दरभंगा	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
			1,50,000	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार) रु० के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं०- 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 002602 .. द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं०- 41120248418, खाता धारक का नाम- Global Health Limited, खाते का प्रकार- , बैंक का नाम- STATE BANK OF INDIA, शाखा का नाम-, RTGS/IFSC कोड सं०- SBIN0004298 में अंतरित किया जाता है।



3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मॉग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
7. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक


679(14)

पटना, दिनांक

10/11/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 002602 की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में)/ आई टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना संबंधित मरीज के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11-01/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार,पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
सजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान,
राय बरेली रोड, लखनऊ,-226014

पटना, दिनांक ..

विषय- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 25.02.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सरस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	यासीन पिता- मो० रेयाज ग्राम- भीखनपुर सैफ पो०- चैनपुर थाना- मनियारी जिला- मुजफ्फरपुर सीआर न०- 20251062256	Fistula Surgery	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
2	अभिषेक कुमार पिता- अजय प्रभाकर ग्राम- चिन्तामणीपुर पो०- मदरना थाना- वैशाली जिला- वैशाली सीआर न०- 2025519255	Covered Entrophy I Prolopsed Bladder	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
3	रजीत कुमार पिता- विजय शंकर प्रसाद ग्राम- बगही बघम्बरपुर पो०- पटजिरवा थाना- श्रीनगर जिला- पश्चिम चम्पारण सीआर न०- 2023552772	बोन मैरो ट्रांसप्लांट	5,00,000	पाँच लाख स्वीकृत।
4	नकीब अख्तर पिता- स्व० जहूर आलम ग्राम- कुंजलही पो०- टोला खड्डा थाना- नौतन जिला- पश्चिम चम्पारण सीआर न०- 2014204771	हृदय रोग एएसडी	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।

5	बरून कुमार पिता- रुद्रेश्वर पजियारा ग्राम- राजाबाडी सूर्य नारायण सिंह लेन पो0- बडी खजरपुर थाना- बरारी जिला- भागलपुर सीआर नं0- 2009063139	हृदय रोग पीटीसीए	1,00,000	एक लाख स्वीकृत
6	नवीन कुमार पिता- यदुनन्दन प्रसाद ग्राम- दाउद विगहा पो0- बहादुरपुर हाउसिंग कॉलोनी थाना- बहादुरपुर जिला- पटना सीआर नं0- 2008587312	हृदय रोग पीटीसीए	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
7	पकज कुमार पिता- सज्जन प्रसाद साहू ग्राम- तारसन किशुनी पो0- खरौना डीह थाना- कुढनी जिला- मुजफ्फरपुर सीआर नं0- 2022287801	हृदय रोग बीएमभी	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
8	देवता नन्द साहनी पिता- वकील साहनी ग्राम+पो0- सलेहपुर थाना- विश्वम्भरपुर जिला- गोपालगज सीआर नं0- 2025648693	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
9	मो0 असलम पिता- अब्दुल हमिद ग्राम- भानपुर बरेवा पो0- पदमौल थाना- गोरौल जिला- वैशाली सीआर नं0- 2024268742	IBD - Ulcerative Colitis	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
10	विक्की कुमार गुप्ता पिता- मोहन प्रसाद गुप्ता ग्राम- मयूर चौक बेकापुर पो0- मुंगेर थाना- कोतवाली जिला- मुंगेर सीआर नं0- 2021415542	एडिनोकानोमा	50,000	पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
11	चन्दन कुमार पिता- रामप्रसाद राउत ग्राम+पो0+थाना- पताही जिला- पूर्वी चम्पारण सीआर नं0- 2023238111	यूरो रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।

12	नितेश कुमार पिता- हरेंद्र माझी ग्राम- देउरिया पो0- बहरौली थाना- मशरक जिला- सारण सीआर न0- 2025883891	कैसर रोग	1,80,000	एक लाख अस्सी हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
13	शिवांस सिंह पिता- नीरज सिंह ग्राम+पो0- पहलेजा थाना- डेहरी जिला- रोहतास सीआर नं0- 20251252857	Left Lap/ Robotic Pyeloplasty	70,000	सत्तर हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
14	बबिता देवी पति- सुरेद्र सिंह ग्राम- रततु बिगहा पो0+थाना- डालमियानगर जिला- रोहतास सीआर नं0- 2026053216	Rheumatoid Arthritis	50,000	पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
15	अजय कुमार शर्मा पिता- प्रभु शर्मा ग्राम- पंचवटी कॉलोनी रोड न0- 01 सत्य गैस गोदाम के पास फुलवारी पटना पो0- अनीसाबाद थाना- बेउर जिला- पटना सीआर न0- 2013348193	Myelopathy	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
16	रौशन तमन्ना खातून पति- मुर्तुजा असारी ग्राम- कैथवलिया पो0+थाना- चनपटिया जिला- पश्चिम चम्पारण सीआर न0- 2022455998	Angiomyolipo ma	75,000	एचहत्तर हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
17	मो0 साहगीर असारी पिता- अब्दुल लेयाकत ग्राम+पो0- रकसा थाना- पानापुर जिला- मुजफ्फरपुर सीआर नं0- 2014365985	हृदय रोग एएसडी	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।
18	रोजी कुमारी पति- नरेश पूर्वे ग्राम- सैदनगर पो0+थाना- लहेरिया सराय जिला- दरभंगा सीआर नं0- 2026095062	EVS Liver Biopoy	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।

19	अमन कुमार पिता- जय शंकर राय ग्राम- अरुही पो0- पांजर थाना- करगहर जिला- रोहतास सीआर न0- 20241104148	Tubercular Brain Abscess	1,00,000	एक लाख स्वीकृत विशेष परिस्थिति में।
20	उमेश कुमार प्रसाद पिता- राम कवल प्रसाद ग्राम- महम्मदपुर पट्टी पो0- कला डुमरा थाना- जी बी नगर जिला- सिवान सीआर न0- 20251234000	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
21	मसरत जहाँ पति म0 समीम ग्राम- धरम चक पो0- साखे खास थाना- उचकागाव जिला- गोपालगज सीआर न0- 2019102566	Liver Fibrosis	50,000	पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
22	त्रिलोकी राम पिता- स्व0 बनारसी राम ग्राम+पो0- कारीसाथ थाना- उदवतनगर जिला- भोजपुर सीआर न0- 2022409065	हृदय रोग पीटीसीए	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
23	उल्फत हुसैन पिता- आस मोहम्मद ग्राम- महुअवा मदरसा पो0- बिशुनपुरा थाना- जगदीशपुर जिला- पश्चिम चम्पारण सीआर न0- 2021292298	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
24	पवन कुमार पिता- लक्ष्मण साह ग्राम- तेजपुरवा टोला चैनपुर पो0- मिर्जापुर थाना- मढौरा जिला- सारण सीआर न0- 2025259307	ब्रेन ट्यूमर / सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
25	किरण कुमारी पति- रजीत कुमार यादव ग्राम- नूरा छपरा पो0+थाना- बडहरिया जिला- सिवान सीआर न0- 2017567068	ब्रेन ट्यूमर / सर्जरी	1,25,000	एक लाख पच्चीस हजार स्वीकृत।

26	गोपाल शरण सिंह पिता- श्याम सुन्दर सिंह ग्राम- विश्रामपुर पो0+थाना- इमामगज जिला- गयाजी सीआर न0- 2025666181	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
27	बिगन सिंह पिता-बिक्रमा सिंह ग्राम-कुर्सा पो0-डोईया थाना-दिनारा जिला-रोहतास सीआरन0-2024045861	Aplastic Anemia	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में
			28,70,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 28,70,000/- (अठाईस लाख सत्तर हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 002602 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0 10095237548 खाता धारक का नाम-"निदेशक, एस0 जी0 पी0 जी0 आई0 एम0 एस0 पी0ई0डी0 खाता" खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-भारतीय स्टेट बैंक, शाखा का नाम-एस0जी0पी0जी0आई0,RTGS/IFSC कोड सं0 SBIN0007789 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
- चिकित्सा AIIMS के दर पर ही किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना

में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।

6. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 680(14)

पटना, दिनांक

10/3/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 002602 की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में) / आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना संबंधित मरीजो को सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

सं० स० 14/एम 11-01/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार,पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक
सर सुन्दर लाल अस्पताल,
इस्टीच्युट ऑफ मेडिकल साइंस
वाराणसी -221005

पटना, दिनांक

विषय - मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक- 25.02.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है -

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3		5
1	नितेश कुमार सिंह पिता- कन्हैया सिंह ग्राम- बहुआरा पो०- मैधरा थाना- सूर्यपुरा जिला- रोहतास एमआरडी न०- 7747180	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
2	रग बहादुर तिवारी पिता- स्व० राम स्वरूप तिवारी ग्राम+पो०- बिसेनी कला थाना- राजपुर जिला- रोहतास एमआरडी न०- 7863828	Stroke	50,000	पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
3	रामबली यादव पिता- सुकदेव यादव ग्राम+पो०- बलुआ रमपुरवा थाना- बैरिया जिला- पश्चिम चम्पारण एमआरडी न०- 7507368	CKD	60,000	साठ हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
4	सोनी कुमारी पिता- जानार्दन चौधरी ग्राम- चिलबिला पुलिया टोला पो०- सुरवारे के बराढी थाना- दिनारा जिला- रोहतास एमआरडी न०- TCBHU 2509240386	Deformity Corretion & Implant Failure	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।

5	लकी राज पिता- शशिकांत सिंह ग्राम+पो0- बेलवइया थाना- दिनारा जिला- रोहतास एमआरडी न0- 8036815	Rt. Sided Decortication	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
6	नितेश कुमार पिता- पूनम महतो ग्राम+पो0- भवराजपुर थाना- आन्दर जिला- सिवान एमआरडी न0- 8103869	Inplamantory Bowel Disease	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
7	अजु देवी पति- श्रीकृष्णकान्त राय ग्राम- मोहनपुर पो0- सलथुआ थाना- कुदरा जिला- कैमूर भभुआ एमआरडी न0- 7875605	हृदय रोग सीएबीजी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
8	शशिकांत पांडेय पिता- मेवा पांडेय ग्राम- दियां पो0- रामगढ थाना- मोहनियों जिला- कैमूर भभुआ ओपीडी न0- अंकित नहीं है।	टोटल नी रिप्लेसमेट	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
9	शशि भूषण पाण्डेय पिता- राम नारायण पाण्डेय ग्राम- कैथिया पो0+थाना- मोहनियों जिला- कैमूर भभुआ एमआरडी न0- 6496400	Epileptic Seizure	60,000	साठ हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
10	रेखा कुमारी पिता- अमरेद्र सिंह ग्राम+पो0- तुर्की थाना- कुदरा जिला- कैमूर भभुआ एमआरडी न0- 6245985	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
11	उमरावती कुवर पिता- सुदामा पाण्डेय ग्राम+पो0+थाना- बडहरी जिला- रोहतास एमआरडी न0- 5737902	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
12	विमला देवी पति- ओम प्रकाश प्रभाकर ग्राम- डुमरी पो0- डुमरी शाहपुर थाना- शिवसागर जिला- रोहतास एमआरडी न0- 7810295	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।

13	मतोष यादव पिता- लाल बहादुर यादव ग्राम- राम नगर टोला पो0- सलसला थाना- सोनवर्षा जिला- बक्सर ओपीडी न0- TCBHU 2508070154	ड्रामा	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
14	नीतु कुमारी पिता-शिव यादव ग्राम-तेन्दुई पोस्ट-डुमरी थाना ढीबरा जिला-औरगाबाद एमआरडीन0-6423487	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
15	राजेश सिंह पिता-रामजी सिंह ग्राम-निमिया पोस्ट-बरैला थाना-शिव सागर जिला-रोहतास एमआरडीन0-7754621	2BD-UC	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में
			₹ 14,20,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 14,20,000/- (चौदह लाख बीस हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 002602... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0 27790100039150 खाता धारक का नाम- **Other-Patient Relief Fund BHU**, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- **Bank of Baroda**, शाखा का नाम- **BHU, Varanasi**, RTGS/IFSC कोड सं0 BARB0BHUVAR में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

- 5 चिकित्सा AIIMS के दर पर ही किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।
- 6 यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
7. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक (S/C14)

पटना, दिनांक 10/3/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 002602 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई.टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ संबंधित मरीज को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14 / एम 11-01 / 2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक
एपेक्स अस्पताल प्रा0 लि0
डी0एल0 डबलु हाईडील रोड,
वाराणसी। 221004

पटना, दिनांक..... ..

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 25.02.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	सकुन्तला देवी पति- जमदार सिंह ग्राम- निकृष पो0- रामपुर थाना- राजपुर जिला- बक्सर	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
2	सतोष कुमार पिता- सुरेन्द्र साह ग्राम- क्षेत्रपट्टी पो0- हरनाही थाना- बरुराज जिला- मुजफ्फरपुर	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
3	अमर कुमार गुप्ता पिता- चन्द्रमा प्रसाद ग्राम- सिसवा खुर्द पो0- लेभरी थाना- मैरवा जिला- सिवान	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
4	गोलू कुमार पिता- महातम सिंह ग्राम- महारा देउर ग्राम- डुमर नरेद्र थाना- भोरे जिला- गोपालगज	Elbow Surgery	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
5	मास्टर अशिष कुमार पिता- चन्दन कुमार ग्राम+पो0- बरहुती कलां थाना- कोचस जिला- रोहतास	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
			₹ 4,00,000	

2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 4,00,000/- (चार लाख) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता स0-

30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स0 ..002602 ... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता स0-36180579026, खाता धारक का नाम- APEX WELCARE PVT, LTD खाते का प्रकार- , बैंक का नाम- स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, शाखा का नाम- SPECIALISED COMMERCIAL BRANCH JAIL ROAD VARANASI RTGS/IFSC कोड स0-SBIN0009252 में अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक माग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. चिकित्सा CGHS के दर पर की जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि के उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करना सुनिश्चित किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को वापस किया जाय।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
7. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ0 श्रीमती) रेखा झा

निदेशक प्रमुख

ज्ञापक 682(14)

पटना, दिनांक 10/11/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक स0 002602 . की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- प्रतिलिपि-लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) /आई.टी.मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना / संबंधित मरीज को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

सं० सं० 14 / एम 11-01 / 2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक
Care Hospital Care Treatment Centre (P) Ltd.,
Bhikharipur, B.L.W., Sunderpur Road,
Varanasi - 221004

पटना, दिनांक

विषय – “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

“मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” के प्राधिकृत समिति की दिनांक 25.02.2026 की बैठक में नर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में।
1	2	3	4	5
1	सजय पासवान पिता- भगेलू पासवान ग्राम- सिरिसिया पो०+थाना- करगहर जिला- रोहतास	ब्रेन सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
			1,00,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,00,000/- (एक लाख) ₹० के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं०- 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 002602. ...द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं०- 21040638381, खाता धारक का नाम- Care Treatment Center Pvt Ltd., खाते का प्रकार-, बैंक का नाम- INDIAN BANK, शाखा का नाम- Bhikharipur, Varanasi, RTGS/IFSC कोड सं० IDIB000B874 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मॉग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक


684 (14)

पटना, दिनांक

10/3/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 002602 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में)/ आई टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना संबंधित मरीज के सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11-01/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार,पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक
MANI SUPERSPECIALITY HOSPITAL,
N. 10/75 B, KAKARMATTA, BLW,
VARANASI- 221004

पटना, दिनांक.....

विषय.- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक- 25.02.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सरस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है:-

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3		5
1	निधि कुमारी पति- ब्रजेश कुमार ग्राम- जहानाबाद पो०+थाना- कुदरा जिला- कैमूर भभुआ	कोकलियर इम्प्लांट	3,00,000	तीन लाख स्वीकृत।
			₹ 3,00,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 3,00,000/- (तीन लाख) के भुगतान के लिए आपके सरस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं० 002602 ... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सरस्थान/अस्पताल के खाता सं० 921020000003177, खाता धारक का नाम- MANI MEDICAL CARE SERVICES PRIVATE LIMITED, खाते का प्रकार-, बैंक का नाम- AXIS BANK, शाखा का नाम- RAMKATORA, RTGS/IFSC कोड सं०- UTIB0002768 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से

वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. चिकित्सा CGHS के दर पर ही किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
7. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अछादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 685 (14)

पटना, दिनांक 10/3/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 002602.. की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में) आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सबधित मरीज को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य
विभाग, पटना
निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11-01/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार,पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक
गंगा सेवा सदन हॉस्पिटल,
चौदपुर चौराहा (कलेक्ट्री फार्म),
बनारस बीड्स के पास,
वाराणसी-221106

पटना, दिनांक.. . . .

विषय.- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक- 25.02.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है-

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3		5
1	नदनी कुमारी पिता- कृष्णा बिहारी सिंह ग्राम- न्यू डिलिया पो०- डिहरी थाना- डेहरी जिला- रोहतास	कोकलियर इम्प्लांट	3,00,000	तीन लाख स्वीकृत।
2	पिंकी देवी पति- निरजन पान्डेय ग्राम+पो०- सिकरौर थाना- शिवसागर जिला- रोहतास	कोकलियर इम्प्लांट	3,00,000	तीन लाख स्वीकृत।
3	मंटू कुमार पिता- अर्जुन राम ग्राम- ईदगाह मोहल्ला पो०- डिहरी थाना- डेहरी जिला- रोहतास	कोकलियर इम्प्लांट	3,00,000	तीन लाख स्वीकृत।
4	सबिता देवी पति- प्रमोद कुमार तिवारी ग्राम- सीतलपुर पो०- तेंदुआ थाना- नोखा जिला- रोहतास	हृदय रोग एभीआर	1,35,000	एक लाख पैंतीस हजार स्वीकृत।
			₹ 10,35,000	

2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 10,35,000/- (दस लाख पैंतीस हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं०

30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 002602... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0 60515973070, खाता धारक का नाम— **GANGA SEWA SADAN HOSPITAL**, खाते का प्रकार— **CURRENT ACCOUNT**, बैंक का नाम— **BANK OF MAHARASHTRA**, शाखा का नाम— **VARANASI**, RTGS/IFSC कोड सं0— **MAHB0001290** में अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. चिकित्सा **CGHS** के दर पर ही किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
7. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 686 (14)

पटना, दिनांक 10/3/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं0 002602.....की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सबधित मरीज को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख
10/3/26

स० स० 14/एम 11-01/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक
Indra Hospital
Super Multi Speciality Hospital Pvt. Ltd.,
Akhari Bypass, N.H.-2 Road,
Varanasi 221011

पटना, दिनांक

विषय— मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक— 25.02.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।—

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3		5
1	सगीता देवी पति— ददन सेठ ग्राम— घटौव पो०— फाखराबाद थाना— कुदरा जिला— कैमूर भभुआ	कोकलियर इम्प्लांट	3,00,000	तीन लाख स्वीकृत।
			₹ 3,00,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 3,00,000/- (तीन लाख) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं० 002602 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं० 701720110000018, खाता धारक का नाम— **INDRA HOSPITAL**, खाते का प्रकार—, बैंक का नाम— **BANK OF INDIA**, शाखा का नाम— **AKHARI, VARANASI**, RTGS/IFSC कोड सं०— **BKID0007017** में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से

वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. चिकित्सा CGHS के दर पर ही किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
7. आयुष्मान भारत — प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 655(14)

पटना, दिनांक

10/3/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 002602... की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में) / ऑर्डर टी मैनेजर स्वास्थ्य विभाग, पटना / सबधित मरीज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11-01/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार,पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक
Sai Medicity Pvt. Ltd. Multi-Speciality Hospital,
B 33/33-52, Rohit Nagar, Naria,
Varanasi - 221005

पटना, दिनांक.

विषय- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक- 25.02.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है:-

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3		5
1	धीर्जा देवी पति- दिना शर्मा ग्राम- भलुहारी पो०- कुडी थाना- चाद जिला- कैमूर भभुआ	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
2	अमित कुमार गुप्ता पिता- राजेश साह ग्राम- तेदुनी पो०- धनेज थाना- करगहर जिला- रोहतास	Meningitis and septicaemia	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
			₹ 2,00,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 2,00,000/- (दो लाख) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं० 008602 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 4779002100003331, खाता धारक का नाम- Sai Medicity Pvt. Ltd., खाते का प्रकार-, बैंक का नाम- PNB Bank, शाखा का नाम- Lanka, Varanasi, RTGS/IFSC कोड सं०- PUNB0477900 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।

4. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारम्भ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. चिकित्सा CGHS के दर पर ही किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
7. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० श्रीमती) रेखा झा

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 689 (14)

पटना, दिनांक 10/3/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 002602 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / अडिटी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना / संबंधित मरीज को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख
10/3/26

स0 स0 14/.एम 11-01/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार,पटना

प्रेषक

डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
टाटा स्मारक अस्पताल,
परेल, मुम्बई -400012

पटना, दिनांक

विषय- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 25.02.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	नीता सिन्हा पति- जैनेन्द्र कुमार सिन्हा ग्राम- डी 68 पीसी कॉलोनी पो0- लोहिया नगर थाना- ककडबाग जिला- पटना केस फाईल न0- 11एफ2025/032351	कैंसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
2	रजना देवी पति- चन्द्रभूषण सिंह ग्राम- बदरखा पो0- मकवा जिला- मुगेर केस फाईल न0- 11एफ2024/030047	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
3	मो0 मुसाहीद आलम पिता- ऐनुल हक ग्राम- जामा मस्जिद टोला मझुआ पो0- डूबा थाना- जोकिहाट जिला- अररिया केस फाईल न0- 11एफ2024/028651	कैंसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
4	अकुश कुमार पिता- योगेन्द्र यादव ग्राम- मेहनौर पो0- टुगी थाना- दीपनगर जिला- नालदा केस फाईल न0- 11एफ2025/022679	कैंसर रोग	1,20,000	एक लाख बीस हजार स्वीकृत।

5	कृष्ण मोहन ठाकुर पिता- गोसाईं ठाकुर ग्राम+पो0- जीतापुर थाना- मुरलीगंज जिला- मधेपुरा केस फाईल न0- 11एफ2025/021692	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
6	अर्चना देवी पति- राम किशोर प्रसाद सिंह ग्राम- सिधिया पो0- जनार्दनपर थाना- कल्याणपुर जिला- समस्तीपुर केस फाईल न0- 19एफ2025/005401	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
7	पवन कुमार महतो पिता- गोपाल महतो ग्राम+पो0+थाना- बिहारीगंज जिला- मधेपुरा केस फाईल न0- 19एफ2024/003708	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
8	फुलेद्र शर्मा पिता- रेजेनाथ शर्मा ग्राम- परसौनी पो0- बकौर थाना+जिला- सुपौल केस फाईल न0- सीवी/37268	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
9	कचन कुमारी पति- अजीत कुमार ग्राम- झिनौरा पो0- मोहिसोना थाना- तेतरहाट जिला- लखीसराय केस फाईल न0- सीआर/21177	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
10	बसंती देवी पति- बिनोद प्रसाद ग्राम- प्राणचक पो0+थाना- रजौली जिला- नवादा केस फाईल न0- 11एफ2023/029836	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
11	बेबी सिन्हा पति- नागेद्र कुमार ग्राम- वीर कुंवर सिंह कॉलोनी रोड न0- 12 बी कलेर पो0- सिविल एरोड्राम थाना- मगध मेडिकल जिला- गयाजी केस फाईल न0- सीआर/30010	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।

12	कामता कुमारी यादव पति- सुरेद्र सिंह ग्राम- खुटहा पो0+थाना- संझौली जिला- रोहतास केस फाईल न0- 11एफ2025/030623	कैसर रोग	1,20,000	एक लाख बीस हजार स्वीकृत।
13	मो0 गुलरेज आलम पिता- मो0 नजीर आलम ग्राम- मस्जिद गली पनचतिया आखरा पो0- हेड पोस्ट ऑफिस थाना- कोतवाली जिला- गयाजी केस फाईल न0- 11एफ2025/032579	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
14	रीता देवी पति-शमु शरण सिंह ग्राम-दुधमी पोस्ट-तुरता थाना-कुटुम्बा जिला औरंगाबाद केस फाईल न0- 11एफ2025/032848	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
			12,50,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 12,50,000/- (बारह लाख पचास हजार) के भुगतान के लिए आपके सरस्थान /अस्पताल के खाते मे उक्त राशि को मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स0- 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स0 001602..... .. द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सरस्थान/अस्पताल के खाता स0 1002449683 खाता धारक का नाम- टाटा स्मारक अस्पताल परेल मुम्बई, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा का नाम- टी0एम0एच0, RTGS/IFSC कोड सं0 CBIN 0284241 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/ उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारम्भ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
- चिकित्सा CGHS के दर पर ही किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।

6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
7. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापक 690 (14)

पटना, दिनांक

10/3/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलरन चेक सं० 002602 की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में) आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सभी संबंधित मरीजो को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

सं०सं० 14 / एम 11-01 / 2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज
आई०डी०ए०, स्कुडर रोड
पी० बी० न०-3, भेल्लोर-632004

पटना, दिनांक

विषय - "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष प्राधिकृत समिति की दिनांक 25.02.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सरस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	शत्रुधन पटेल पिता- रामसुंदर प्रसाद ग्राम+पो०- अरैराज थाना- अरैराज जिला- पूर्वी चम्पारण सीएमसी न०- एएन 55167	हृदय रोग एभीआर	1,35,000	एक लाख पैंतीस हजार स्वीकृत।
2	महेद्र राम पिता- मदन राम ग्राम- गोवास पो०+थाना- कुटुम्बा जिला- औरंगाबाद सीएमसी न०- एएन 14345	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
3	गुलाब देवी पति- रामपुकार यादव ग्राम+पो०- नवकाटोल थाना- अशोक पेपर मिल जिला- दरभंगा सीएमसी न०- एएन 35186	कैसर रोग	1,20,000	एक लाख बीस हजार स्वीकृत।
4	मो० समाउल्लाह असारी पिता- इस्लाम असारी ग्राम- निरपुर पो०- धनकौल थाना- पातेपुर जिला- वैशाली सीएमसी न०- एएन 11919	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।

5	विजय चौधरी पिता- राम शरण चौधरी ग्राम- बिछवे पो0+थाना- किउल जिला- लखीसराय सीएमसी न0- एआई 09184	हृदय रोग सीएबीजी	1,80,000	एक लाख अस्सी हजार स्वीकृत।
6	कुदन कुमार पिता- रामचंद्र नोनिया ग्राम- खुटहा पो0- चेरकी थाना- गुरुआ जिला- गयाजी सीएमसी न0- 744827 पी	Robotic Pyeloplasty	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
7	अरविन्द साह पिता- ठाकुर साह ग्राम+पो0- रामपुर कला थाना- खैरा जिला- सारण सीएमसी न0- एएन 64361	Focal kyphosis Nurick	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
8	मुकेश कुमार पिता- राजेंद्र साव ग्राम+पो0- बेलावारिश थाना- बंदेया जिला- औरंगाबाद सीएमसी न0 671579 एच	बोन मैरो ट्रांसप्लाट	4,00,000	चार लाख स्वीकृत।
9	राजेश यादव पिता- छोटे लाल यादव ग्राम- कशिमन ठाकुर के डेरा पो0- लक्ष्मी डेरा थाना- शाहपुर जिला- भोजपुर सीएमसी न0- एएन 69415	बोन मैरो ट्रांसप्लाट	4,00,000	चार लाख स्वीकृत।
10	धुर्बा लामा पिता- स्व0 कालू लामा ग्राम- पितौजिआ पो0+थाना- भदौर जिला- पटना सीएमसी नं0- 839342 पी	बोन मैरो ट्रांसप्लाट	4,00,000	चार लाख स्वीकृत।
11	मधु देवी पति-सजय प्रसाद सोनी ग्राम+पो0-अम्बा थाना-अम्बा जिला-औरंगाबाद हौस्पिटल न0-AJ 73920	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

12	राजीव रजन पिता-लाल बाबु प्रसाद ग्राम-दीदारगज पोस्ट-पटना सिटी थाना-दीदारगज जिला-पटना हौस्पिटल न०-AI 94696	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
13	मुकेश कुमार पिता- सुरेन्द्र प्रसाद ग्राम- कुशा पो०+थाना- नरहट जिला- नवादा सीएमसीन०-ए०के० 56557	वृहत ब्रेन सर्जरी	2,50,000	दो लाख पचास हजार स्वीकृत।
			24,65,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 24,65,000/- (चौबीस लाख पैसठ हजार) मात्र के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं-30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं 002602... .. द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं-36889551846, खाता धारक का नाम- C.M.C.VelloreAssociation, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-एस०बी०आई०, शाखा का नाम- भेल्लोर, टाउन ब्रांच (1618), RTGS/IFSC कोड सं-SBIN 0001618 में अंतरित किया जाता।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम/अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त"बिहार लोक माग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- गुर्दा प्रत्यारोपण के मामले में स्वीकृत अनुदान राशि का इस्तेमाल सिर्फ गुर्दा रोग की शल्य चिकित्सा के लिए अनुमान्य होगा, न कि चिकित्सोपरान्त दवा/डायलेसिस आदि के लिए।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
- चिकित्सा CGHS के दर पर ही की जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।

8. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छा लाभको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0 /-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)


निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 671(14)

पटना, दिनांक 10/3/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक स० 002602.....की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सभी संबंधित मरीजो को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


10/3/26
निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार,पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

अधीक्षक,
पोस्ट ग्रेजुएट इस्टीच्युट ऑफ मेडिकल एजुकेशन
एड रिसर्च, चंडीगढ़- 160012

पटना, दिनांक. . .

विषय- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 25.02.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	गोपाल ठाकुर पिता- सकलदेव ठाकुर ग्राम+पो०+थाना- पुरैनी जिला- मधेपुरा सीआर न०- 202204694728	स्टोमा क्लोजर सर्जरी	10,000	दस हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
			10,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 10,000/- (दस हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" खाता स०- 30121380424, एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक स० 002602 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता स० 10413583830 खाता धारक का नाम-"डायरेक्टर,पी०जी०आई० प्राइवेट ग्रान्ट ए०/सी० " खाते का प्रकार- चालु बैंक का नाम- एस० बी० आई०, शाखा का नाम- मेडिकल संस्थान शाखा सेक्टर-12, चंडीगढ़ RTGS/IFSC कोड स० 01524 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक माग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृतादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है।

प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. चिकित्सा AIIMS के दर पर ही किया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)


निदेशक प्रमुख

ज्ञापक (९२८१५)

पटना, दिनांक 10/3/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 002602 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना, संबंधित मरीज को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

स० सं० 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक

Chittaranjan National cancer Institute,
37 S.P.. Mukherjee Road,
Kolkata-700026.

पटना, दिनांक.. ..

विषय— मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक— 25.02.2026 की बैठक में लिये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	सोनू कुमार पिता— तारकेश्वर साह ग्राम— तारा अमनौर पो०— कैतुका नदन थाना— मकर जिला— सारण	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
			1,00,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,00,000/- (एक लाख) मात्र के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 002602 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं०— 1009049553, खाता धारक का नाम— Director, CNCI, खाते का प्रकार— Savings, बैंक का नाम— Central Bank of India, शाखा का नाम— Bhowanipore, RTGS/IFSC कोड सं०— CBIN0280103 में अंतरित किया जाता।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम/अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त"बिहार लोक माग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- गुर्दा प्रत्यारोपण के मामले में स्वीकृत अनुदान राशि का इस्तेमाल सिर्फ गुर्दा रोग की शल्य चिकित्सा के लिए अनुमान्य होगा, न कि चिकित्सोपरान्त दवा/डायलेसिस आदि के लिए।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को

कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जा आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

6. चिकित्सा AIIMS के दर पर ही की जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।
7. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
8. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह० / -

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 693(14)

पटना, दिनांक 10/3/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं०. 002604 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे) / आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना / सभी संबंधित मरीजो को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स० सं० 14/एम 11-01/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
होमी भाभा कैंसर अस्पताल
घंटी मिल रोड, लहरतारा,
ओल्ड लोको कालोनी, शिवपुरवा
वाराणसी 221002

पटना, दिनांक

विषय— मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 25.02.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	चन्दन कुमार पिता— कृष्ण देव सिंह ग्राम— चाणक्य कॉलोनी बोधाचक रोड पो०— कुरथौल थाना— परसा बाजार जिला— पटना केस फाईल नं०— 18एफ2026/001156	कैंसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
2	मो० आफताब आलम पिता— मो० हफीजुल्लाह ग्राम— बलिहार पो०— सूरजपुरा थाना— सूर्यपुरा जिला— रोहतास केस फाईल नं०— 11एफ2023/028043	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
3	मास्टर सुधाशु कुमार पिता— मुकेश कुमार ग्राम+पो०— नरवारा थाना— तरियानी जिला— शिवहर केस फाईल नं०— 19एफ2026/000243	कैंसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।

4	चन्दा देवी पति- धर्मेन्द्र कुमार सिंह ग्राम+पो0- जमुरना थाना- रामगढ जिला- कैमूर भभुआ केस फाईल न0- 18एफ2025/020467	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
5	असदुल्लाह असारी पिता- मो0 अब्बास असारी ग्राम+पो0- हाटा थाना- चैनपुर जिला- कैमूर भभुआ केस फाईल न0- 16एफ2025/001135	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
6	अजमेरी खातून पति- रहमान अली ग्राम- हथुआ माली टोला पो0+थाना- हथुआ जिला- गोपालगज केस फाईल न0- 16एफ2026/000249	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
7	शोभा देवी पति- लखिंदर राय ग्राम- गुलरिया अहीर टोली पो0- कटहा थाना- मुफरिसल जिला- पूर्वी चम्पारण केस फाईल न0- 11एफ2025/033664	बोन मैरो ट्रासप्लांट	5,00,000	पाँच लाख स्वीकृत।
8	रेहाना खातून पति- मो0 निजामुद्दीन समानी ग्राम+पो0+थाना- चैनपुर जिला- कैमूर भभुआ केस फाईल न0- 16एफ2026/000250	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
9	अनाया कुमारी पिता- अमरेश कुमार ग्राम- भानपुर बारेवा पो0- पदमऊल थाना- गोरौल जिला- वैशाली केस फाईल न0- 16एफ2025/001094	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
10	नवल किशोर प्रसाद पिता- रामवृक्ष चौहान ग्राम- धनराज बिगहा पो0- छबीलापुर थाना- मानपुर जिला- नालदा केस फाईल न0- 18एफ2025/007309	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।

11	सीमा देवी पति- अजित कुमार ग्राम- बलिया पो0- सराव थाना- नटवार जिला- रोहतास केस फाईल न0- 18एफ2023 / 020087	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
12	अभिषेक कुमार पिता- सतीश कुमार सिंह ग्राम+पो0- भिट्टी थाना- मोहनियाँ जिला- कैमूर भभुआ केस फाईल न0- 16एफ2025 / 001422	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
13	सुमन देवी पति- नवलेश कुमार ग्राम- श्रीरामपुर पो0+थाना- बिहटा जिला- पटना केस फाईल न0- 11एफ2025 / 025502	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
14	बिदा देवी पति- सुरेश सिंह ग्राम- तेन्दुआ दुसाधी पो0- पहलेजा थाना- डेहरी जिला- रोहतास केस फाईल नं0- केडी / 04778	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
15	सगीता देवी पति- रमन कुमार मिश्र ग्राम- चीनी मिल पो0- गजाधर गज थाना- मोडल थाना बक्सर जिला- बक्सर केस फाईल नं0- 18एफ2025 / 000292	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
16	ममता देवी पति- ओम प्रकाश खरवार ग्राम+पो0- लहेरी थाना- कोचस जिला- रोहतास केस फाईल नं0- 18एफ2023 / 004849	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
17	मधुमती देवी पति- स्व0 रजीत पासवान ग्राम- खपरैल चक पो0+थाना- परसा बाजार जिला- पटना केस फाईल नं0- 18एफ2025 / 019364	कैसर रोग	1,80,000	एक लाख अस्सी हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।

18	कुमारी सुनीला भारती पति- समरेंद्र कुमार विमल ग्राम- श्याम नगर पो0- जहानाबाद थाना- जहानाबाद नगर जिला- जहानाबाद केस फाईल न0- 11एफ2026/001095	कैसर रोग	2,00,000	दो लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
19	तारामुनी देवी पति- बृजनंदन चौधरी ग्राम- सरासर पो0- खुदरू थाना- दिनारा जिला- रोहतास केस फाईल न0- 18एफ2026/001107	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
20	रेनु देवी पति- सुनील ठाकुर ग्राम-दरौली पो0+थाना- दुर्गावती जिला- कैमूर भभुआ केस फाईल न0- 18एफ2025/019800	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
21	दीप्ती पिता- शैलेन्द्र कुमार सिंह ग्राम- हनुमान कॉलोनी धधवा रोड न0- 5 पो0+थाना- बोधगया जिला- गयाजी केस फाईल न0- 18एफ2026/000413	कैसर रोग	1,20,000	एक लाख बीस हजार स्वीकृत।
22	प्रेमा देवी पति- बहादुर सिंह ग्राम- गरभे पो0- अखितयारपुर थाना- करगहर जिला- रोहतास केस फाईल नं0- 18एफ2025/020053	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
23	विमल देवी पति- बलिराम यादव ग्राम- प्रयाग समझल पो0- कोइलादेवा थाना- मीरगज जिला- गोपालगज केस फाईल न0- 18एफ2024/015432	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।

24	बिन्दु देवी पति- मनोज चौबे ग्राम- टीचर कॉलोनी चरित्रवन बक्सर पो0- बक्सर थाना- मोडल बक्सर जिला- बक्सर केस फाईल न0- 18एफ2024 / 014602	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
25	पवन झा पिता- लतर झा ग्राम+पो0- धकजरी थाना- अरेर जिला- मधुबनी केस फाईल न0- 18एफ2025 / 019726	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
26	बरून कुमार मंडल पिता- राम रतन मंडल ग्राम- राम रतन मंडल 20 नियर काली मंदिर उर्दू बाजार पो0- भागलपुर सिटी थाना- ततारपुर जिला- भागलपुर केस फाईल नं0- 16एफ2024 / 001700	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
27	सत्येद्र यादव पिता- देवराज यादव ग्राम- धर्मपुरा डेरा पो0- इन्दौर थाना- ईटाडी जिला- बक्सर केस फाईल नं0- 16एफ2024 / 001778	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
28	कुमारी रंजीता गुप्ता पति- निरजन कुमार साह ग्राम- किशुनगंज पो0+थाना- उदाकिशुनगज जिला- मधेपुरा केस फाईल न0- 16एफ2026 / 000184	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
29	मुनिलाल सिंह पिता- स्व0 वीर दयाल यादव ग्राम- किसान मार्किट धरहरा पूल आरा पो0- आरा थाना- आरा नगर जिला- भोजपुर केस फाईल न0- 12एफ2024 / 005407	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।

30	शिव कुमार सिंह पिता- सीता राम सिंह ग्राम- नोनसारी टोला पो0- नोनसारी थाना- नोखा जिला- रोहतास केस फाईल न0- 18एफ2025 / 018520	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
31	प्रविदा चौबे पति- जैश्री चौबे ग्राम- तिवारीडेहरिया पो0- मुजान थाना- मोहनियाँ जिला- कैमूर भभुआ केस फाईल न0- 18एफ2025 / 020353	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
32	अमित कुमार सिंह पिता- वीरेद्र सिंह ग्राम+पो0- शामकौथिया थाना- इसुआपुर जिला- सारण केस फाईल न0- 18एफ2025 / 005544	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
33	पिकी सिंह पति- अमर कान्त सिंह ग्राम- गुदरी राय के चौक पो0+थाना- भगवान बाजार जिला- सारण केस फाईल न0- 18एफ2025 / 013875	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
34	भोला प्रसाद पिता- स्व0 भगवान प्रसाद गुप्ता ग्राम+पो0+थाना- हुलासगज जिला- जहानाबाद केस फाईल न0- 18एफ2025 / 021355	कैसर रोग	1,80,000	एक लाख अस्सी हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
35	कविता नारायण पति-विद्या रतन सिंह ग्राम-नया टोला, दानापुर कम खगौल पटना पो0-दानापुर थाना-दानापुर जिला-पटना केस फाइल न0- 18एफ2025 / 002014	कैसर रोग	1,80,000	एक लाख अस्सी हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।

36	सुनीता देवी पति-सच्चिदानन्द साह ग्राम-रघुनाथपुर पो0-मोहनपुर थाना-शंभुगंज जिला-बाका केस फाइल न0- 18एफ2024/003285	कैंसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
			42,70,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 42,70,000/- (बैआलीस लाख सत्तर हजार) के भुगतान के लिए आपके सरस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0- 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं0 002602 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सरस्थान/अस्पताल के खाता सं0- 3675632747 खाता धारक का नाम- होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल, वाराणसी, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा का नाम- Tata Memorial Cancer (TMC) Hospital, Varanasi, RTGS/IFSC कोड सं0 CBIN 0285166 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/ उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
- चिकित्सा CGHS के दर पर ही किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
- आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ० श्रीमती) रेखा झा


निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 683(14)

पटना, दिनांक- 10/3/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं0 002602...की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना / सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख
10/3/26